न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 22/2022
दायर दिनांकः 20.10.2022
निर्णय दिनांक 07.04.2025

—: अनवान :—

1. मांगीबाई पत्नि त्रिलोकचन्द जी जाति कुमावत आयु 66 वर्ष निवासी बडारडा तहसील व जिला राजसमन्द
2. ताराचन्द पिता त्रिलोकचन्द जी जाति कुमावत आयु 46 वर्ष निवासी बडारडा तहसील व जिला राजसमन्द
3. बालकृष्ण पिता त्रिलोकचन्द जी जाति कुमावत आयु 45 वर्ष निवासी बडारडा तहसील व जिला राजसमन्द
4. कन्नीबाई पुत्री त्रिलोकचन्द जी जाति कुमावत आयु 66 वर्ष निवासी बडारडा तहसील व जिला राजसमन्द हाल निवासी देवथडी तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

— अपीलान्टगण

बनाम

1. उमेश पिता त्रिलोक जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी बडारडा तहसील व जिला राजसमन्द
2. प्रेमीबाई पत्नि त्रिलोक जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी बडारडा तहसील व जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय राजसमन्द नामान्तरकरण ग्राम बडारडा पटवार हल्का बडारडा नामान्तरकरण संख्या 1400 दिनांक 18.05.2018

उपस्थितः—

1— श्री भोपाल सिंह राव, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री ललित कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजसमन्द नामान्तरकरण ग्राम बडारडा पटवार हल्का बडारडा नामान्तरकरण संख्या 1400 दिनांक 18.05.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कि अपीलार्थीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

डालू
|
त्रिलोक
|

मांगीबाई पत्नि	ताराचंद पुत्र	बालकृष्ण पुत्र	कन्नीबाई पुत्री

राजस्व ग्राम बडारडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द में त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के नाम से कृषि भूमियॉ स्थित थी। त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत अपीलार्थीगण संख्या दो से चार के पिता एवं अपीलार्थी संख्या एक के पति है। त्रिलोक पिता डालू जी का स्वर्गवास दिनांक 13.05.2018 को हो गया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा बिना वारीसानों की जॉच किये मनमकसूद तरीके से त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के नाम दर्ज कृषि भूमियों का नामान्तरण रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के नाम पारित कर दिया जबकि उक्त रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के अग्र पुरुष का नाम त्रिलोक पिता चुन्नीलाल कुमावत है। अधिनस्थ न्यायालय ने एक ही नाम के दो व्यक्ति होने से बिना जॉच किये अपीलार्थी के पिता की कृषि भूमियों रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के नाम दर्ज कर दी जबकि रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के अग्र पुरूष त्रिलोक पिता चुन्नीलाल कुमावत है। अपीलार्थीगण के अग्रपुरूष त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत है। अधिनस्थ न्यायालय ने त्रिलोक पिता डालू की कृषि भुमियो का नामान्तरकरण बिना कोई जॉच किये रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के नाम खोल दिया जबकि रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो त्रिलोक पिता डालू के वारिस नहीं होकर त्रिलोक पिता चुन्नीलाल के वारिस है। त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के नाम पर दर्ज कृषि भुमियाँ उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारीसान अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु अधीनस्थ राजस्व अधिकारियो द्वारा त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के वारिसो को सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना जॉच किये मनमकसूद तरीके से त्रिलोक पिता चुन्नीलाल के वारीसानो के नाम दर्ज कर दी जो कानूनन अवैद्य है। उक्त नामान्तरण संख्या 1400 निरस्त किया जाकर त्रिलोक पिता डालू जी के वारीसान अपीलार्थीगण के नाम पर पुनः नामान्तरण अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के वारिस अपीलार्थीगण होने से उनके नाम पुनः नामान्तरकरण अंकित कराया जावे। उक्त नामान्तरकरण की

जानकारी अपीलार्थीगण को अभी 10 दिवस पूर्व हुई जब अपीलार्थीगण ने समिति से लोन लेने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि उक्त कृषि भुमियो में उनके नाम दर्ज नहीं होकर त्रिलोक पिता चुन्नीलाल के वारीस रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के नाम दर्ज है और अपीलार्थीगण का नाम खातेदारी में नहीं है। जिसकी जानकारी प्रथम बार अपीलार्थीगण को दिनांक 22.09.2022 को खाते की नकल निकलाने पर हुई जिस पर उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की व जानकारी दिनांक से अपील अंदर अवधि पेश है व मियाद कण्डोन हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1400 दिनांक 18.05.2018 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे एवं अपीलार्थीगण के नाम पर नामान्तरकरण पारित करने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित कुमावत, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम रेस्पोण्डेंटगण के अग्र पुरुष का नाम त्रिलोक पिता चुन्नीलाल जी कुमावत है जबकि उक्त नामान्तरकरण जिस जमीन के संबध में खोला गया है वह पूर्व में त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के नाम दर्ज थी। त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के वारीसान अपीलार्थीगण है। सहवन से उक्त नामान्तरकरण भूलवश/गलती से त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के वारीसान के नाम पर नहीं खुलकर हम रेस्पोण्डेंटगण के नाम पर गलत खोला गया है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम बडारडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द में त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के नाम से कृषि भूमियों स्थित थी। त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत अपीलार्थीगण संख्या दो से चार के पिता एवं अपीलार्थी संख्या एक के पति है। त्रिलोक पिता डालू जी का स्वर्गवास दिनांक 13.05.2018 को हो गया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय राजसमन्द द्वारा बिना वारीसानों की जॉच किये मनमकसूद तरीके से त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के नाम दर्ज कृषि भूमियों का नामान्तरण रेस्पोण्डेंट संख्या एक

व दो के नाम पारित कर दिया जबकि उक्त रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के अग्र पुरुष का नाम त्रिलोक पिता चुन्नीलाल कुमावत है। अधिनस्थ न्यायालय ने एक ही नाम के दो व्यक्ति होने से बिना जॉच किये अपीलार्थी के पिता की कृषि भूमियों रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के नाम दर्ज कर दी जबकि रेस्पोण्डेंट संख्या एक व दो के अग्र पुरूष त्रिलोक पिता चुन्नीलाल कुमावत है। अपीलार्थीगण के अग्रपुरूष त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत है। उक्त नामान्तरण संख्या 1400 निरस्त किया जाकर त्रिलोक पिता डालू जी के वारीसान अपीलार्थीगण के नाम पर पुनः नामान्तरण अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के वारिस अपीलार्थीगण होने से उनके नाम पुनः नामान्तरकरण अंकित कराया जावे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1400 दिनांक 18.05.2018 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे एवं अपीलार्थीगण के नाम पर नामान्तरकरण पारित करने का आदेश प्रदान करावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस कथन मे निवेदन किया है कि सहवन से उक्त नामान्तरकरण भूलवश/गलती से त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के वारीसान के नाम पर नहीं खुलकर हम रेस्पोण्डेंटगण के नाम पर गलत खोला गया है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जावे। तथा राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस कथन में यह निवेदन किया कि उक्त अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वार ग्राम बड़ारड़ा के नामान्तरण संख्या 1400 दिनांक 18.05.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम बड़ारड़ा पटवार हल्का बड़ारड़ा तहसील राजसमन्द में त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के नाम कृषि भूमियां स्थित थी, अपीलार्थीगण त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के वारिसान है। त्रिलोक पिता डालू जी का स्वर्गवास दिनांक 13.05.2018 को हो गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा बिना वारिसानों की जांच किये त्रिलोक पिता डालू कुमावत के नाम दर्ज कृषि भूमियों का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 त्रिलाक पिता डालू के वारिस नहीं होकर त्रिलोक पिता चुन्नीलाल के वारिस है अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1400 दिनांक 18.05.2018 को निरस्त कर अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरणकरण पारित करने का आदेश प्रदान करावे।

उक्त क्रम में ग्राम बडारडा के प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 1400 का अवलोकन करने पर पाया कि खातेदार त्रिलोक पिता डालू कुमावत के फौत होने से पटवारी हल्का बडारड़ा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उमेश पिता त्रिलोक व प्रेमीबाई पत्नि स्व.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

त्रिलोक कुमावत के नाम विरासत से नामान्तरण दर्ज किया गया, जिसकी जांच संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई व उक्त नामान्तरण तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया कि हम रेस्पोडेन्ट के अग्र पुरूष का नाम त्रिलोक पिता चुन्नीलाल जी कुमावत है। जबकि उक्त नामान्तरणकरण जिस जमीन के संबंध में खोला गया है। वह पूर्व में त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के दर्ज थी। त्रिलोक पिता डालु जी कुमावत के वारिसान अपीलार्थीगण है। सहवन से उक्त नामान्तरणकरण भूलवश/गलती से त्रिलोक पिता डालू जी कुमावत के वारिसान के नाम पर नहीं खुलकर हम रेस्पोडेन्ट के नाम पर गलत खोला गया जिसे सुधारा जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व त्रिलोक पिता डालु कुमावत के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई, एवं रेस्पोडेन्ट के जवाब से भी यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 त्रिलोक पिता डालु कुमावत के वारिस नहीं होकर त्रिलोक पिता चुन्नीलाल कुमावत के वारिसान है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश अपास्त योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1400, दिनांक 18.05.2018 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि प्रकरण में मृतक त्रिलोक पिता डालू कुमावत के विधिक वारीसान की नियमानुसार जांच कर पुनः नामान्तरकरण निर्णित करें।

7/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 07.04.2025 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)